

पटना विश्वविद्यालय

पटना विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद की आपात् बैठक दिनांक 29.11.2013 को 11.00 बजे पूर्वाहन में एकेडमिक कॉन्सिल हॉल, पटना विश्वविद्यालय में कुलपति की अध्यक्षता में हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1. डा. अरुण कुमार सिन्हा, कुलपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना, (अध्यक्ष)
2. डा. सुदीप अधिकारी, प्रतिकुलपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना
3. डा. प्रशांत दत्ता, विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना
4. डा. उदार झा, विभागाध्यक्ष, रसायन शास्त्र विभाग, प.वि.वि.
5. डा. सचिवदानंद शर्मा, विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, प.वि.वि.
6. डा. अमरेन्द्र मिश्र, विभागाध्यक्ष, सांखियकी विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना
7. डा. राकेश वर्मा, प्रधानाचार्य, पटना लौ कॉलेज, एवं संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, प.वि.वि.
8. डा. लालकेश्वर प्रसाद सिंह, विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना
9. डा. अमर कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना
10. डा. चन्द्रमा सिंह, विभागाध्यक्ष, व्यावहारिक अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना
11. डा. धर्मशीला प्रसाद, विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना
12. डा. वीणा सिन्हा, विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, पटना वि.वि.
13. डा. असरफ जहां, विभागाध्यक्ष, उर्दु विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना
14. डा. डोरिस डि'सूजा, प्रधानाचार्य, पटना वीमेस कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय, पटना
15. डा. जेसी जोर्ज, प्रधानाचार्य, वीमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय, पटना
16. डा. प्रभा रानी, विभागाध्यक्ष, जन्तु विज्ञान विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना
17. डा. पी.के.पोद्धार, प्रधानाचार्य, बी.एन.कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय, पटना
18. डा. एस.एन. मेहता, विभागाध्यक्ष, मैथिली विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना
19. डा. मो. आविद हुसैन, विभागाध्यक्ष, परसियन विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना
20. डा. एस.जोहा, विभागाध्यक्ष, अरबी विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना
21. डा. डौली सिन्हा, प्रधानाचार्य, मगध महिला कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय, पटना
22. डा. रास बिहारी प्रसाद सिंह, प्रधानाचार्य, पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय, पटना
23. डा. वाणी भूषण, विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना
24. डा. खगेन्द्र कुमार, संकायाध्यक्ष एवं प्रधानाचार्य, पटना ट्रेनिंग कॉलेज, प.वि.वि., पटना
25. डा. आर.एन.प्रसाद, विभागाध्यक्ष, इर्शनशास्त्र विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना
26. डा. आर. एन. पाण्डिय, विभागाध्यक्ष, गणित विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना
27. डा. अखिलानंद त्रिपाठी, विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना
28. डा. चंद्रभूषण श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य, कला एवं शिल्प महाविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, पटना
29. डा. प्रभाकर झा, विभागाध्यक्ष, वैयक्तिक प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंधन विभाग, प.वि.वि. पटना
30. डा. विपिन कुमार जमुआर, प्राचीन भा. इति. एवं पुरा. विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना
31. डा. श्रीराम पद्मदेव, विभागाध्यक्ष, बायोकैमेस्ट्री विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना
32. डा. बीरेन्द्र प्रसाद, वनस्पति विज्ञान विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना
33. प्रो. एस. एन. शर्मा, विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना

एजेंडा 1. दिनांक 26.10.2013 के बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि पर विचार।

सर्वसम्मति से दिनांक 26.10.2013 को सम्पन्न विद्वत् परिषद के बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गयी।

एजेंडा 2. पटना विश्वविद्यालय के विभागों एवं महाविद्यालय की विकास योजना, शिक्षकों की रिक्तियों एवं आउटसोर्सिंग के संबंध में ।

सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बिहार सरकार के पत्र, संख्या-15/एम-2-130/2013, 1906 दिनांक 23.10.2013 एवं विशेष सचिव श्री संजीवन सिन्हा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्र, संख्या-15/एम-1-130/2013, 2040 दिनांक 20.11.2013 के आलोक में पटना विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्तियों (Vacancies) को निम्न विवरणी के अनुसार विज्ञापित करने हेतु शिक्षा विभाग से अनुरोध किया जाय।

शिक्षकों की कुल रिक्तियाँ-412 निर्धारित की गईं। इन्हें निम्नरूप में श्रेणीकृत किया जा सकता है :

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. प्राचार्य (Professor) | - 67 |
| 2. उपाचार्य (Associate Professor) | - 182 |
| 3. व्याख्याता (Assistant Professor) | - 163 |

प्राचार्यों (67) एवं उपाचार्यों (182) का कुल योग 249, पटना विश्वविद्यालय में कुल सूचित पद 888 का 28.04 प्रतिशत है। 28 प्रतिशत रिक्तियाँ रहने पर RUSA की ओर से कोई अनुदान नहीं मिल सकता। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) की यह पूर्व शर्त (Pre requisite): "Filling faculty position in the state if any state has more than 15% faculty positions remaining vacant by the end of first year of RUSA, such state may lose the entitlement for any further grant" विश्वविद्यालय पर भी लागू होती है। इस पूर्व शर्त को ध्यान में रखते हुए विद्वत् परिषद् ने यह प्रस्ताव पारित किया है कि प्राचार्यों एवं उपाचार्यों के पदों को प्रसुतावस्था (Abeyance) में डालते हुए इन पदों के विरुद्ध भी व्याख्याता (Assistant Professor) के पद विज्ञापित किए जाएँ एवं इस आशय की स्वीकृति का एक पत्र पटना विश्वविद्यालय को दिया जाए कि अगले दो तीन वर्षों में जैसे-जैसे वरिष्ठ शिक्षक अवकाशप्राप्त करते जाएँगे वैसे-वैसे प्राचार्यों और उपाचार्यों के ये पूर्व सूचित पद पुनरुज्जीवित (Revive) होते जाएंगे।

पटना विश्वविद्यालय में दिखाई गई ये रिक्तियाँ 31 दिसम्बर 2014 तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों के पदों को जोड़कर तैयार की गई हैं। 01 नवम्बर 2013 से 31 दिसम्बर 2014 के बीच कुल सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की संख्या 31 है। यदि बिहार लोक सेवा आयोग से सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों के इन 31 पदों पर भी नियुक्तियों की अनुशंसा दिसम्बर 2014 के पहले प्राप्त हो जाती है तब उनकी नियुक्ति 1 नवम्बर 2013 से दिसम्बर 2014 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की सापेक्षिक होगी।

यह भी निर्णय लिया गया कि महाविद्यालयों के छात्रों में विषय की लोकप्रियता या उपयोगिता को देखते हुए पदों को पुनर्समायोजित (re-adjust) किया जा सकता है।

आउटसोर्सिंग के संबंध में सभी इकाई के प्रमुख से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया कि वे आवश्यकता के अनुसार अधियाचना विश्वविद्यालय को शीघ्र उपलब्ध करा दें।

अनुमोदित

Anubhav
(अरुण कुमार सिन्हा) 11/13

कुलपति
पटना विश्वविद्यालय, पटना

P. Ram
(बलराम तिक्की) 11/13

कुलसचिव
पटना विश्वविद्यालय, पटना।